

19/01/23

पार्थी चेश हुई। वकील पार्थी उपाधित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी
द्वारा उस्तुत मूल दावा रिजेक्ट हो चुका
है। पार्थी पत्र पत्रावली में अब कोई
कार्यवाही ~~अवश्या~~ नहीं रही।

अतः पार्थी द्वारा उस्तुत पार्थी पत्र खारिज
किया जाता है।

प्रकरण में जारी अस्थायी निबंधाज्ञा आदेश
दिनांक 03/12/2021 निरस्त किया जाता है।
निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसील दफ्तर (राज्य)
कोलायत को भेजित की जावे।

पार्थी पत्र पत्रावली फासल-शुमार होकर
एच जाखन दारिके दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19-01-2023 को
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

दिनांक 19/01/23
पत्रावली-पत्रावली